दां.प्रकी.(जमा.) 4310/2004

06.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एन.एल.जोशी,
जन अभियोजक श्री रामेश्वर दवे उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि मृतक रामसिंह के सिर पर गम्भीर चोट गण्डासी द्वारा सन्तराम द्वारा मारना बताया गया है। इस अभियुक्त ने कन्धे पर चोट पहुंचाई है जो साधारण आई है। मृतक की मृत्यु 13 दिन बाद हुई है। चूंकि इस अभियुक्त द्वारा घातक चोट कारित नहीं की गई है, अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। चूंकि इस अभियुक्त द्वारा मृतक के घातक चोट कारित नहीं की गई है, इन परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अमरजीत सिंह पुत्र मंगलसिंह योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत

पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा